186

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

## समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
## सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 1143—एक / 2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 18.01.2012 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 11 / 2011—12 / विविध.

.....

1—रमेश चन्द्र पुत्र स्व. श्री नन्दकिशोर लोधी
2—जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. श्री नन्दकिशोर लोधी (मृत)
वारिसान :—
अ—श्रीमती शीला पत्नी स्व0 जगदीश प्रसाद
ब—महाबीर पुत्र जगदीश प्रसाद
3—मुरारी लाल पुत्र स्व. श्री नन्दकिशोर लोधी
4—मुलायम सिंह पुत्र स्व. श्री नन्दकिशोर लोधी
5—दिनेश कुमार पुत्र स्व. श्री नन्दकिशोर लोधी
6—राम श्री पुत्री स्व. श्री नन्दकिशोर लोधी
7—फूलवती पुत्री स्व. श्री नन्दकिशोर लोधी
8—कुसमा पुत्री स्व. श्री नन्दकिशोर लोधी
9—वैजन्ती पुत्री स्व. श्री नन्दकिशोर लोधी
10—गुडड़ी पुत्री स्व. श्री नन्दकिशोर लोधी
निवासीगण ग्राम सिनावल तहसील व
जिला दतिया म0 प्र0 ———अपीलार्थीगण

**विरूद्ध**

1—मनीराम पुत्र स्व0 श्री पुन्ना
2—उर्मिला पत्नि शारदा शरण
3—जयराम पुत्र धवल (मृत) वारिसान :—
अ—बृज कुंवर बेवा स्व.जयराम
ब—राजेश पुत्र स्व. जयराम
स—लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. जयराम
द—गौरीशंकर पुत्र स्व. जयराम
इ—देवसिंह पुत्र स्व. जयराम
4—बद्री प्रसाद पुत्र श्री धवल

5–रामकुंवर पुत्री श्री धवल
6–शीला पुत्री श्री धवल
7–किशोरी पुत्री श्री धवल
निवासीगण ग्राम सिनावल तहसील व
जिला दतिया म0 प्र0
8–मुन्नी देवी पत्नी प्रेम प्रकाश अग्रवाल
निवासी खंजाची मोहल्ला दतिया
तहसील व जिला दतिया म0 प्र0

———प्रत्यर्थीगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री एस0 पी0 धाकड, अभिभाषक, प्रत्यर्थी –1
शेष प्रत्यर्थीगण एक पक्षीय है।

.....

**आदेश**

(आज दिनांक 25-2-19 को पारित )

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

3–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सिनावल की आराजी सर्वे कमांक 742, रकवा 0.3, 811, रकवा 0.35, 814 रकवा 0.14, 822 रकवा 0.51, 857 रकवा 0.83, 859 रकवा 0.91, 860 रकवा 2.48 865 रकवा 0.72, 866 रकवा 0.57, 868 रकवा 0.17 के अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा उक्त नम्बरों के बटवारा हेतु संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन पत्र नायब तहसीलदार वृत्त बरगांथ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 32/अ–27/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 5.6.08 के द्वारा बटवारा आदेश पारित किया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी दतिया के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 102/अपील/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 31.7.09 अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत

की गई। अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 19.7.11 को प्रकरण आदम पैरवी में खारिज हुआ। जिसके विरूद्व विविध आवेदन प्रस्तुत किया जो आदेश दिनांक 18.1.12 द्वारा अस्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इस न्यायालय द्वारा तत्कालीन सदस्य द्वारा दिनांक 5.8.2016 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया था जिसके विरूद्व प्रत्यर्थी कमांक–8 मुन्नी देवी पत्नी प्रेम प्रकाश अग्रवाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय म0 प्र0 बैंच ग्वालियर में रिट पिटीशन कमांक 4186/2017 दायर की गई जिसमें पारित आदेश दिनांक 28.11.17 के आदेशानुसार यह प्रकरण पुनः री–ओपन किया गया तथा मान0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उभयपक्ष को आहूत कर पुनः सुनवाई कर पुनः आदेश पारित किया जा रहा है।

3–अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तारीख पेशी दिनांक 19.7.11 नियत थी। यह पेशी अंतिम तर्क हेतु नियत नहीं थी बल्कि प्रकरण में तलवाने प्रस्तुत करने हेतु नियत थी, जिस संबंध में अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19.7.11 को तलवाना प्रस्तुत किया गया था। लेकिन अभिलेख पर नहीं होने से प्रकरण खारिज किया गया जो कि नितांत अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि जो तलवाना प्रस्तुत किया गया था वह त्रुटिवश प्रकरण में संलग्न नहीं हो सका एवं प्रकरण अधिक्ता की अनुपस्थिति में दिनांक 1.7.11 को खारिज कर दिया गया जबकि उक्त दिनांक को अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये थे। उनके द्वारा रेस्टोरेशन आवेदन प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदन सदभावना पर आधारित होने से स्वीकार योग्य था लेकिन उस भी विचार किये बिना निरस्त कर दिया गया। ऐसे आदेश को स्थिर नहीं रखा जा सकता। तर्क में यह भी कहा गया है कि अधिवक्ता की त्रुटि के कारण पक्षकार को दण्डित नहीं किया जा सकता। न्यायालय को चाहिये था कि तलवाना प्रस्तुत करने की शर्त पर रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार करना चाहिये था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया, ऐसे आदेश को स्थिर नहीं रखा जा सकता। अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि प्रत्यर्थी कमांक 4 एवं 6 की मृत्यु हो गई है उनके वारिसानों को अभिलेख पर नहीं लिया गया है और मृत

व्यक्ति के विरूद्व आदेश पारित किया गया है वह शून्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.1.12 एवं 19.7.11 अपास्त कर प्रकरण का निराकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित कर गुण दोष पर निराकरण किया जाने का अनुरोध किया गया है।

4–प्रत्यर्थी कमांक–1 के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित एवं सही है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः उनके द्वारा अपील निरस्त कर अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5–प्रत्यर्थी कमांक 2 से 8 को रजिस्टर्ड से सूचना भेजी गई, उसके उपरांत अनुपस्थित रहे, उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

6–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय ब्रांच ग्वालियर के आदेश दिनांक 28.11.17 के आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया, जिसमें तत्कालीन सदस्य का आदेश दिनांक 5.8.16 का निरस्त किया गया है। इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील में मुख्य बिन्दु यह है कि अपीलार्थी के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित होनें के कारण अपील अदम पैरवी में खाारिज की गई उसके पश्चात उनके द्वारा रेस्टोरेशन आवेदन प्रस्तुत किया गया, तो यह लेख करते हुये निरस्त कर दिया गया कि प्रत्यर्थी कमांक 8, 9, 10 का तलवाना प्रस्तुत नहीं किया एवं प्रत्यर्थी कमांक–5 के वारिसान की जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। अपर आयुक्त ग्वालियर के अभिलेख का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि आदेश पत्रिका दिनांक 21.6.11 की पेशी अधिवक्ता द्वारा नोट की गई उसके पश्चात पेशी दिनांक 28.6.11, 5.7.11, 12.7.11 नियत की गई और दिनांक 19.7.2011 को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है। उसके पश्चात आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.10.11 को रेस्टोरेशन का आवेदन प्रस्तुत किया जिसके साथ धारा–5 का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से यह भी लेख किया गया है कि दिनांक 27.7.11

को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसकी छाया प्रति भी अवलोकन कराई थी, और इसका उल्लेख अधिवक्ता द्वारा स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, उसके बाद भी अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा प्रकरण पर्नस्थापित नहीं किया। अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा जारी आदेशों में नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतो एवं सहज न्याय के सिद्वांतों की मंशा को न समझते हुये उनके विपरीत आदेश पारित किये गये हैं, जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं है, इस संबंध में न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं:–

**लक्षमण प्रसाद विरूद्व गोल्हई 1992 राजस्व निर्णय 24 पैरा 5 में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि कोर्ट रीडर या आयुक्त कोर्ट के सुपरिन्टेन्डेंट द्वारा दी गयी तारीख पर गैर हाजिरी नहीं मानी जायेगी, उस तारीख पर हाजिर होना वाध्यकर नहीं है, इसी प्रकार नीरज सिंह विरूद्व रामजी 1990 राजस्व निर्णय 308 में भी यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है, कि पीठासीन अधिकारी या जज जब न्यायालय में उपस्थित न हो तब कोर्ट की ओर से पक्षकारों को सूचना की तामील करायी जावेगी हाजिरी का दायित्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष ही है,** इससे स्पष्ट है कि सूचना विधिवत न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता को नहीं दी गयी थी जबकि उन्हें इसकी सूचना विधिवत दी जाना चाहिये थी। ऐसी स्थिति में उपरोक्त न्यायिक सिद्वांतों के परिप्रेक्ष्य में अदम पैरवी में प्रकरण को खारिज करने संबंधी आदेश दिनांक 19.7.2011 एवं 18.1.12 किसी भी स्थिति में स्थिर रखने योग्य नहीं है। **इस संबंध में बल्देवा विरूद्व म0 प्र0 शासन 1990 राजस्व निर्णय 214 श्री एच0 जी0 ओभराय अध्यक्ष आदेश 41 नियम 19 सी.पी.सी. अपील को रेस्टोर्ड करना चाहिये एवं लक्षमण प्रसाद विरूद्व गोल्हई 1992 राजस्व निर्णय 24 पैरा 5 में भी यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि अधिवक्ता की त्रुटि से संबंधित मामलों में पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिये। उसे ऑन मैरिट न्याय प्राप्त करने के लिये मामले को आगे गुण दोष पर सुनवाई की जाना चाहिये एक पक्षीय स्थापना आदेश या त्रुटि में मामला खारिज का आदेश निरस्त किया जाना उचित होगा।** इससे यह तो स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ग्वालियर चाहते तो पुनः तलवाना प्राप्त कर एवं अदम पेरवी में खारिज किये गये

प्रकरण को रेस्टोरेशन स्वीकार कर प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर कर उभयपक्ष को न्याय दिया जा सकता था। इसलिये अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर का प्रकरण कमांक 11/विविध/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 18.1.12 निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर आयुक्त ग्वालियर को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अपीलार्थी का रेस्टोरेशन प्रकरण कमांक 11/विविध/2011–12 मान्य करते हुये मूल प्रकरण कमांक 484/अपील/2008–09 को पुर्नस्थापित करते हुये उभयपक्ष को आहूत कर साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये **(राजस्व मण्डल में प्रत्यर्थी कमांक 8 हितबद्व पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय ब्रांच ग्वालियर के रिट पिटीशन कमांक 4186/17 में पारित आदेश दिनांक 28.11.17 के परिप्रेक्ष्य में उन्हें भी आहूत कर सुना जावे)** प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर किया जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर